

कार्यालय — जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, औरेया।

पर्वतीक/ औरेयी माध्यम मान्यता/ १५२७१-८४ / 2018-19 दिनांक: ०३/०३/ 2018

प्रबंधक,

Pt.Bauram Pandey Academy Auraliya Road
Dibilyapur(P.B.R.P)

विषय— निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिये निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010 के नियम 15 के उप नियम (4) के अधीन विद्यालय के लिये मान्यता प्रमाण-पत्र।
महोदय,

शासनादेश सं०— 419/78-6-2013-18(20)/91 दिनांक 08-05-2013 में निर्दिष्ट कार्यक्रम एवं निर्देशों के आलोक में औरेयी माध्यम से सच्च प्राथमिक स्तर की मान्यता हेतु आपके आवेदन पत्र और इस संबंध में विद्यालय के साथ पश्चातवर्ती पत्राधार तथा अधिकारी के निरीक्षणोपरान्त उपलब्ध कराई गयी निरीक्षण आस्था के आलोक में मण्डलीय मान्यता समिति की बैठक दिनांक 06.03.2019 को लिए गए निर्णय के आधार पर मैं Pt.Bauram Pandey Academy Auraliya Road Dibilyapur को दिनांक 01.04.2018 से दिनांक 31.03.2022 तक कक्षा प्री से कक्षा 8 तक के लिये अनंतिम मान्यता प्रदान करने की संसूचना देता हूँ। उपरोक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तों के पूरा किये जाने के अध्यधीन है—

1—मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नहीं है, और उसमें किसी भी रूप में कक्षा 8 के पश्चात मान्यता/ संबंधन करने के लिये कोई शास्त्रात्मक नहीं है।

2—विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (उपाध्य 1) और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2010 (उपाध्य 2) के उपबन्धों का पालन करेगा।

3—विद्यालय प्राथमिक कक्षा में बालकों की संख्या के 25 प्रतिशत तक आस-पडोस के कमज़ोर वर्गों और सुविधा विहीन समूह के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा। और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य सच्च प्राथमिक शिक्षा, उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध करायेगा।

4—पैरा— 3 में निर्दिष्ट बालकों के लिये विद्यालय को अधिनियम की धारा—12 की उप धारा (2)के उपबन्धों के अनुसार प्रतिपूरित किया जायेगा। ऐसी प्रतिपूर्तियां प्राप्त करने के लिये विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।

5—सोसाइटी /विद्यालय किसी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा, और किसी बालक या उसके माता पिता या संरक्षक को किसी स्कीमिंग प्रक्रिया के अध्यधीन नहीं करेगा।

6—विद्यालय किसी बालक को उसकी आयु का सबूत न होने के कारण प्रवेश देने से इनकार नहीं करेगा, और वह अधिनियम की धारा—15 के उपबन्धों का पालन करेगा। विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा।

I. प्रवेश दिये गये किसी भी बालक को विद्यालय में उसकी उच्च प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी कक्षा में फेल नहीं किया जायेगा।

II. किसी भी बालक को शारीरिक दंड या मानसिक उत्पीड़न के अध्याधीन नहीं किया जायेगा।

III. उच्च प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी।

IV. उच्च प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम 25 के अधीन अधिकारित किये गये अनुसार एक प्रमाण-पत्र प्रदान किया जायेगा।

V. अधिनियम के उपबन्ध के अनुसार निःसंत्ता ग्रस्त /विशेष आकर्षकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाना।

VI. अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा—23 (1)के अधीन यथा अधिकारित न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती है, परन्तु यह और कि विद्यालय अध्यापक जिनके पास इस अधिनियम के प्रारम्भ पर न्यूनतम अर्हताये नहीं हैं, पांच वर्ष की अवधि के भीतर न्यूनतम अर्हताये अर्जित करेंगे।

VII. अध्यापक अधिनियम की धारा 24 (1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करता है,

VIII. अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन क्रियाकलापों में नियोजित नहीं करेंगे।

7— विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकारित पाठ्यवर्षों के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।

8— विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में यथा विनिर्दिष्ट विद्यालय के मानकों और सन्नियमों को बनाये रखेगा। अन्तिम निरीक्षण के समय रिपोर्ट की गई प्रसुविधायें निम्नानुसार हैं—

क्रमसं०	विद्यालय में उपलब्ध प्रसुविधाएं	विवरण
1	विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल	8430मी०
2	शूल निर्मित क्षेत्र	1678मी०(4मणिला)
3	क्रीड़ा स्थल का क्षेत्रफल	—
4	कक्षाओं की संख्या	11
5	प्रध्यापक —सह कार्यालय— सह भण्डारागर के लिये कक्षा	3
6	बालक/ बालिकाओं के नियम पृष्ठ शौचालय	2/2
7	पेय जल सूविधा	सबमासिन्दल पम्प/ हैप्पलम्प उपलब्ध है।
8	बाधा रहित पहुँच	बाधा रहित पहुँच उपलब्ध है।
9	अध्यापक पठन सामग्री/ क्रीड़ा खेल—शूद उपस्कर्ता/ पुस्तकालय की उपलब्धता	उपलब्ध है।


आर्थि देव
प्रबंधक/ग्रन्थी

८० बाबूराम पाण्डेय एकेंद्र
औरेया रोड, विद्यालय, औरेया
नं०४० -२०२२४

- 09—विद्यालय के परिसर के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर मान्यता प्राप्त कक्षायें नहीं चलाई जायेगी।
- 10—विद्यालय भवनों या संरचनाओं या क्रीड़ा स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिये किया जाता है।
- 11—विद्यालय को सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी के द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जा रहा है।
- 12—स्कूल को किसी व्याटि, व्याटियों के समूह या संगम या किसी अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिये नहीं चलाया जा रहा है।
- 13—विद्यालय के लेखाओं की किसी चाटड़ एकान्टेंट द्वारा समीक्षा की जानी चाहिये। और उसके द्वारा प्रभागित किया जाना चाहिये, तथा उचित लेखा विवरण, नियमों के अनुसार तैयार किये जाने चाहिये। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को भेजी जानी चाहिये।
- 14—आपके विद्यालय को आवैटित मान्यता कोड संख्यांक जू0डा10 स्कूल/अंग्रेजी माध्यम/2018-19/22/03 है। कृपया इसे नोट कर लें, और इस कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिये इस संख्यांक का उल्लेख करें।
- 15—विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करता है, जो समय—समय पर शिक्षा निदेशक/जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित हो, और समुचित सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के लिये अनुदेशों का पालन करता है। जो मान्यता संबंधी शर्तों के शात्र अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्य करण की कमियों को दूर करने के लिये जारी किये जायें।
- 16—सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीनीकरण यदि कोई हो तो सुनिश्चित किया जाये।
- 17—संलग्न संपादन्य के अनुसार अन्य कोई शर्त।
- 18—विद्यालय में शिक्षण कार्य टी0इ0टी0 उत्तीर्ण शिक्षकों से ही कराया जाये, तथा यदि कोई तथ्य गोपन प्रबंधतंत्र द्वारा प्रस्तुत पाया गया तो विभागीय नियमों की परिधि में कार्यवाही की जायेगी, जिसके लिये वह स्वयं जिम्मेदार होंगे।


 (एस०पी०सिंह)
 जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
 ओरेया।

पू0सं/अंग्रेजी माध्यम मान्यता/2018-19 तादिनांक।
 प्रतिलिपि—निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—
 1—सचिव बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
 2—मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक(बि०)कानपुर मण्डल कानपुर।
 3—संबंधित खण्ड शिक्षा अधिकारी।
 4—कार्यालय प्रति।


 जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
 ओरेया।

आशुम देवी
 प्रबन्धक मन्त्री
 द० बालुराम पाठ्येय एकान्टेंट
 ओरेया रोड/दिवियापुर, ओ
 उ०प० -202244